संख्या 914 /XII/10/86(30)/2010

प्रेषक,

राजीव चन्द्र
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
पंचायतीराज,
उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी
हरिद्वार।

पंचायतीराज एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा अनुभाग देहरादून : दिनांक 02 दिसम्बर 2010

विषयः–जनपद–हरिद्वार की ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन संबंधित दिशा निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड में जनपद हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन वर्ष, 2005 में हुए थे। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार जनपद हरिद्वार में पंचायत के सामान्य निर्वाचन वर्ष, 2010 में निर्धारित है। वैधानिक व्यवस्था के अनुसार सभी स्तरों की पंचायतों में पदों तथा स्थानों का आरक्षण संविधान एवं अधिनियमों में विनिर्दिष्ट व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा।

2. सर्वप्रथम पदों एवं स्थानों के आरक्षण का निर्धारण "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 243 D के अन्तर्गत व्यवस्था के अधीन तथा उत्तर प्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1947 (उत्तराखण्ड में अनुकूलित एवं उपान्तरित) की धारा 11–क, धारा 12 तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 (उत्तराखण्ड में यथा अनुकूलित एवं उपान्तरित) की धारा 6–क, 7–क एवं धारा 18–क तथा 19–क तथा उत्तर प्रदेश पंचायतराज (स्थानों और पदों का आरक्षण एवं आवंटन) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में यथा अनुकूलित एवं उपान्तरित) तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण एवं आवंटन) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में यथा अनुकूलित एवं उपान्तरित) में विहित व्यवस्था एवं प्रकिया के अनुसार किया जायेगा।

3. जिला पंचायत के अध्यक्ष पद पर आरक्षण सम्बन्धी कार्यवाही नियमान्तर्गत शासन स्तर से यथासमय की जायेगी। जिले में क्षेत्र पंचायत प्रमुखों तथा खण्डवार ग्राम पंचायतों के प्रधान पदों के आरक्षण की व्यवस्था जिलाधिकारी हरिद्वार द्वारा की जायेगी। इससे पूर्व जिलावार प्रमुखों के तथा खण्डवार प्रधानों के आरक्षित पदों की संख्या क्रमशः शासन स्तर से तथा निदेशक पंचायतीराज द्वारा अवधारित कर जिलाधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। जनपद हरिद्वार हेतु प्रमुख पदों की अवधारित संख्या का विवरण संलग्न है।

क्रमश.....2....

4. उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों हेतु जिला पंचायतों के अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायतों के प्रमुख एवं ग्राम पंचायतों के प्रधान के पदों का अवधारण "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 243 D (4) के परन्तुक के अधीन निम्नाकिंत सूत्र के अनुसार किया जाएगा। अवधारित होने वाले पदों का विवरण निम्न प्रकार है:-

(क) प्रमुख पद हेतु अवधारित पदः-

राज्य में सम्बन्धित जाति की जनसंख्या
———————X कुल क्षेत्र पंचायतों की संख्या = राज्य में जाति विशेष हेतु आरक्षित पद (अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षित पद 14 प्रतिशत की सीमा के अन्तर्गत होगें)
राज्य की कुल जनसंख्या

सूत्र के अनुसार **अनुसूचित जनजाति** हेतु प्रमुख पदों का आरक्षण

256129
———X 95= 2.86=3 02 महिला 01 अनारक्षित
8489349

सूत्र के अनुसार **अनुसूचित जाति** हेतु प्रमुख पदों का आरक्षण

1517186
———X 95= 16.97=17 09 महिला 08 अनारक्षित
8489349

नोटः- राज्य की कुल जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति हेतु कुल 17 पद अवधारित होते है किन्तु जनपद को इकाई मानते हुए सूत्र के अनुसार वितरण करने पर कुल 20 पद वितरित हो रहे है, जिसमें से 10 महिलाओं को आवंटित किये जाने है। जिसमें 02 पद पूर्व में ही जनपद हरिद्वार को आवंटित हो चुके है, 02 पदों में से 01 पद महिला को आवंटित है।

क्रमशः.....3

सूत्र के अनुसार अन्य **पिछडा वर्ग** हेतु प्रमुख पदों का आरक्षण

1224517
———X 95= 13.70=14 किन्तु 14 प्रतिशत की सीमा
8489349 में रखने पर 13.3=13 07 महिला 06 अनारक्षित

नोटः– राज्य की कुल जनसंख्या के आधार पर 13.70 अर्थात 14 पद अवधारित हो रहे है, जिन्हें 14 प्रतिशत तक सीमित करते हुए 13 पद अवधारित होते है। सूत्र के अनुसार जनपदों में वितरण के पश्चात कुल 11 पद वितरित हो पा रहे है। इसलिए 02 पदों को वितरित न करने हेतु छूट प्रदान की गयी है। उक्त 11 पदों में से 03 पद पूर्व में ही जनपद हरिद्वार को आवंटित है। जिसमें से 02 पद महिला का है।

(ख) प्रधान पद हेतु अवधारित पद

सूत्र के अनुसार **अनुसूचित जनजाति** हेतु प्रधान पदों का आरक्षण

256129
———X 7555= 227.93=228
8489349

सूत्र के अनुसार **अनुसूचित जाति** हेतु प्रधान पदों का आरक्षण

1517186
———X = 7555=1350.20=1350
8489349

सूत्र के अनुसार अन्य पिछडा वर्ग हेतु प्रधान पदों का आरक्षण

1224517
———X7555=1089.74=1090किन्तु 14% की सीमा के अन्तर्गत 1057.70 अर्थात 1057 पद
8489349

क्रमशः.....4....

5. ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किये जाने वाले प्रधान पदों की संख्या संयुक्त प्रान्त पंचायत अधिनियम, 1947 (उत्तराखण्ड में अनुकूलित एवं उपान्तरित) की धारा–11 क की उप धारा–2 और 4 के उपबन्धों के अनुसार इस प्रकार निकाली जायेगी कि यदि शेष भाजक के आधे से कम न हो तो भागफल में एक बढ़ाया जायेगा और यदि शेष भाजक के आधे से कम हो तो इसे छोड़ दिया जायेगा। इस प्रकार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किये जाने वाले प्रधान पदों की संख्या निर्धारित हो जायेगी। महिलाओं के लिए आरक्षित प्रधान पदों की संख्या निर्धारित करने के लिए उपरोक्त नियम का पालन करते समय यह ध्यान रखा जायेगा कि महिलाओं के लिए आरक्षित कुल पदों की संख्या आरक्षित वर्ग की महिलाओं की संख्या को सम्मिलित करते हुए कुल प्रधान पदों की संख्या के आधे से कम नहीं होगी। श्रेणीवार आरक्षण की गणना करते समय यह ध्यान रखा जाएगा कि महिलाओं का आरक्षण कुल पदों अथवा स्थानों में किसी भी दशा में आधे से कम न हों।

6. इस प्रकार अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों एवं अन्य पिछडा वर्ग हेतु निकाली गयी प्रधान पदों की संख्या ग्राम पंचायतों के मध्य वितरित करने के लिए खण्ड(क्षेत्र पंचायत) को इकाई माना जायेगा और यह वितरण इस प्रकार से किया जायेगा कि खण्ड में ग्राम पंचायतों के लिए अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों व पिछड़े वर्ग के प्रधानों के पदों की संख्या का अनुपात खण्ड में प्रधान पदों की संख्या में यथासाध्य वही होगा जो खण्ड में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों व पिछड़े वर्ग की जनसंख्या का अनुपात खण्ड में कुल जनसंख्या के साथ होगा।

7–सर्वप्रथम प्रत्येक विकासखण्ड में **अनुसूचित जनजाति** के लिए आरक्षित किये जाने वाले **प्रधान पद** निम्नलिखित सूत्र से आगणित किये जाएः–

$$\text{अनुसूचित जनजाति के प्रधान पदों की संख्या} = \frac{\text{विकास खण्ड में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या}}{\text{विकास खण्ड की कुल जनसंख्या}} \times \text{विकास खण्ड में कुल ग्राम प्रधानों के पदों की संख्या}$$

आगणित प्रधान पदों की संख्या और राज्य स्तर पर प्रस्तर 3 में दी गयी प्रक्रियानुसार अवधारित पदों की संख्या में आई कमी को अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक अनुपातिक जनसंख्या वाले विकासखण्डों में पुर्नवितरित कर पूर्ण किया जायेगा।

क्रमशः–5

अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किये जाने वाले **प्रधान पद** हेतु निम्नलिखित सूत्र से आगणित किये जाए:–

अनुसूचित जाति के प्रधान पदों की संख्या	=	विकास खण्ड में अनुसूचित जाति की जनसंख्या / विकास खण्ड की कुल जनसंख्या	X	विकास खण्ड में कुल ग्राम प्रधानों के पदों की संख्या

उपरोक्तानुसार आगणित प्रधान पदों की संख्या और राज्य स्तर पर प्रस्तर 3 में दी गयी प्रक्रियानुसार अवधारित पदों की संख्या में आई कमी को अनुसूचित जाति की सर्वाधिक अनुपातिक जनसंख्या वाले विकासखण्डों में पुर्नवितरित कर पूर्ण किया जायेगा।

8. इसी प्रकार प्रत्येक विकासखण्ड में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित किये जाने वाले प्रधान पदों का आगणन सर्वप्रथम निम्नलिखित फार्मूले से किया जायेगा:–

पिछडा वर्ग के प्रधान पदों की संख्या	=	विकास खण्ड में पिछडा वर्ग की जनसंख्या / विकास खण्ड की कुल जनसंख्या	X	विकास खण्ड में कुल ग्राम प्रधानों के पदों की संख्या

9. निम्नलिखित क्रम में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लिए प्रधानों के पदों की संख्या उस खण्ड में भिन्न–भिन्न ग्राम पंचायतों को पंचायत क्षेत्र की कुल जनसंख्या में उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर अवरोही क्रम में आवंटित की जायेगी अर्थात् उस खण्ड की ग्राम पंचायतों में से वह ग्राम पंचायत जिसके प्रादेशिक क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक हो, उनको आवंटित की जायेगी और वह ग्राम पंचायत जिसके प्रादेशिक क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक हो, उनको आवंटित की जायेगी और वह ग्राम पंचायत जिसके प्रादेशित क्षेत्र में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक हो, उनको आवंटित की जायेगी और पश्चातवर्ती निर्वाचन में आवंटन उपर्युक्त रीति से किया जायेगा, किन्तु इस प्रकार कि जहां तक हो सके, पूर्ववर्ती निर्वाचन में अनुसूचित जनजातियों को आवंटित ग्राम पंचायत अनुसूचित जनजातियों को अनुसूचित जातियों को, आवंटित ग्राम पंचायत अनुसूचित जातियों को और पिछड़े वर्गों को आवंटित ग्राम पंचायत पिछड़े वर्गों को आवंटित नहीं की जायेगी।

आवंटन का क्रम निम्नवत् होगा:–

(क) अनुसूचित जनजातियों की महिलाएं
(ख) अनुसूचित जनजातियां
(ग) अनसूचित जातियों की महिलाएं
(घ) अनुसूचित जातियां
(ड.) अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाएं
(च) अन्य पिछड़ा वर्ग और
(छ) महिलाएं

कमशः–6

प्रतिबन्ध यह है कि अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों या पिछड़े वर्ग की जनसंख्या पंचायत क्षेत्र में दो से कम हो तो ऐसे पंचायत क्षेत्र की ग्राम पंचायत के प्रधान का पद यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों अनुसूचित जातियों या पिछड़े वर्गों को आवंटित नहीं किया जायेगा।

उक्त के अधीन अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों या पिछड़े वर्गों को आवंटित ग्राम पंचायतों के प्रधानों के पदों की आधे से अन्यून ग्राम पंचातयों में प्रधानों के पद यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों या पिछड़े वर्गों की महिलाओं को आवंटित किये जायेंगे।

उक्त के अधीन आवंटन के पश्चात् अवशेष ग्राम पंचायतों से ग्राम पंचायतों के प्रधानों के पदों को महिलाएं को इस प्रकार आवंटित किया जायेगा, कि आरक्षित वर्ग की महिलाओं को सम्मिलित करते हुए आधे से अन्यून पद महिलाओं हेतु आरक्षित हो जायेगें, किन्तु इस प्रकार कि जिन ग्राम पंचायतों के प्रादेशिक क्षेत्रों में सबसे अधिक अनुपातिक जनसंख्या हो, जिसमें अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की जनसंख्या सम्मिलित नहीं है, उनको आवंटित किया जायेगा, और पश्चातवर्ती निर्वाचन में आवंटन उपर्युक्त रीति से किया जायेगा, किन्तु इस प्रकार कि, जहां तक हो सके, पूर्ववर्ती निर्वाचन में महिलाओं को आवंटित ग्राम पंचायतें महिलाओं को आवंटित नहीं की जायेंगी।

10. क्षेत्र पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किये जाने वाले प्रमुख पदों की संख्या उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा–7–क के उपबन्धों के अनुसार इस प्रकार निर्धारित जायेगी कि यदि शेष, भाजक के आधे से कम न हो तो भागफल में एक बढ़ाया जायेगा और यदि शेष भाजक के आधे के कम हो तो उसे छोड़ दिया जायेगा। इस प्रकार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किये जाने वाले प्रमुखों के पदों की संख्या निर्धारित हो जायेगी।

11 इस प्रकार निकाली गयी प्रमुख पदों की संख्या क्षेत्र पंचायतों के मध्य वितरित करने के लिए जिले को इकाई माना जायेगा और यह वितरण इस प्रकार से किया जायेगा कि क्षेत्र पंचायतों के लिए अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों व पिछड़े वर्ग के प्रमुखों के पदों की संख्या का अनुपात जिलें में प्रमुख पदों की संख्या में यथा साध्य वही होगा जो जिले में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों व पिछड़े वर्ग की जनसंख्या का जिले की कुल जनसंख्या में अनुपात हो।

11. सर्वप्रथम प्रत्येक जनपद में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किये जाने वाले प्रमुख पदों का निम्नलिखित सूत्र से आगणन किया जायेगाः–

$$\text{अनुसूचित जनजाति के प्रमुख पदों की संख्या} = \frac{\text{जनपद में अनुसूचित जनजाति की ग्रामीण जनसंख्या}}{\text{जनपद की कुल ग्रामीण जनसंख्या}} \times \text{जनपद में कुल क्षेत्र पंचायतों की संख्या}$$

क्रमश.....7...

Raju bonal gs-1/1/200110 ... 12:58 AM

उपरोक्तानुसार आगणित प्रमुख पदों की संख्या और राज्य स्तर पर प्रस्तर–10 में दी गइ प्रक्रियानुसार अवधारित पदों की संख्या में आई कमी को अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनपदों में पुनर्वितरित कर पूर्ण किया जायेगा।

13. इसी प्रकार प्रत्येक जनपद में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किये जाने वाले प्रमुख पदों का निम्नलिखित सूत्र से आगणित किये जायेगाः–

$$\text{अनुसूचित जाति के प्रमुख पदों की संख्या} = \frac{\text{जनपद में अनुसूचित जाति की ग्रामीण जनसंख्या}}{\text{जनपद की कुल ग्रामीण जनसंख्या}} \times \text{जनपद में कुल क्षेत्र पंचायतों की संख्या}$$

उपरोक्तानुसार आगणित प्रमुख पदों की संख्या और राज्य स्तर पर प्रस्तर–10 में दी गइ प्रक्रियानुसार अवधारित पदों की संख्या में आई कमी को अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनपदों में पुनर्वितरित कर पूर्ण किया जायेगा।

14. इसी प्रकार प्रत्येक जनपद में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित किये जाने वाले प्रमुख पदों का निम्नलिखित सूत्र से आगणित किये जायेगाः–

$$\text{पिछडे वर्ग के प्रमुख पदों की संख्या} = \frac{\text{जनपद में पिछडे वर्ग की ग्रामीण जनसंख्या}}{\text{जनपद की कुल ग्रामीण जनसंख्या}} \times \text{जनपद में कुल क्षेत्र पंचायतों की संख्या}$$

15. अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लिए प्रमुखों के पदों की संख्या उस जिले में भिन्न–भिन्न क्षेत्र पंचायतों को, पंचायत क्षेत्र में उनकी जनसंख्या का पंचायत क्षेत्र की कुल जनसंख्या में अनुपात के आधार पर, अवरोही क्रम में आवंटित की जायेगी, अर्थात उस जिले की क्षेत्र पंचायतों में से वह क्षेत्र पंचायत जिसके प्रादेशिक क्षेत्र• में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक हो उनको आवंटित की जायेगी और वह क्षेत्र पंचायत जिसके प्रादेशिक क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक हो, उनको आवंटित की जायेगी और वह क्षेत्र पंचायत जिसके प्रादेशिक क्षेत्र में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक हो, उनको आवंटित की जायेगी, और पश्चातवर्ती निर्वाचन में आवंटन उपर्युक्त रीति से किया जायेगा किन्तु इस प्रकार कि जहां तक हो सके पूर्ववर्ती निर्वाचन में अनुसूचित जनजातियों को आवंटित क्षेत्र पंचायत, अनुसूचित जनजातियों को आवंटित नहीं की जायेगी और अनुसूचित जाति को आवंटित क्षेत्र पंचायत अनुसूचित जाति को आवंटित नहीं की जायेगी और पिछड़े वर्गों को आवंटित क्षेत्र पंचायत पिछड़े वर्गों को आवंटित नहीं की जायेगी।

उक्त के अधीन अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों या पिछड़े वर्गों को आवंटित क्षेत्र पंचायतों की आधे से अन्यून क्षेत्र पंचायतें यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों या पिछड़े वर्गों की महिलाओं को आवंटित की जायेगी। **क्रमश..8...**

उक्त के अधीन आवंटन के पश्चात् अवशेष क्षेत्र पंचायतों के प्रमुख के पदों को महिलाओं को इस प्रकार आवंटित किया जायेगा कि आरक्षित वर्ग की महिलाओं को सम्मिलित करते हुए आधे से अन्यून पद महिलाओं हेतु आरक्षित हो जाएं किन्तु इस प्रकार कि जिन क्षेत्र पंचायतों के प्रादेशिक क्षेत्रों में सबसे अधिक अनुपातिक जनसंख्या हो, जिसमें अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की जनसंख्या सम्मिलित नहीं है, उनको आवंटित की जायेगी और पश्चातवर्ती निर्वाचन में आवंटन उपर्युक्त रीति से किया जायेगा, किन्तु इस प्रकार कि जहां तक हो सके पूर्ववर्ती निर्वाचन में महिलाओं को आवंटित क्षेत्र पंचायतें महिलाओं को आवंटित नहीं की जायेगी।

16. ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 (उत्तराखण्ड में अनुकूलित एवं उपान्तरित) की धारा 12 की उपधारा 5 तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उत्तराखण्ड में अनुकूलित एवं उपान्तरित) की धारा 6–क तथा 18–क के उपबन्धों के अनुसार उसी प्रकार निकाली जायेगी जिस प्रकार उपरोक्त बिन्दु संख्या–3 में निर्दिष्ट किया गया है। इस प्रकार अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या निर्धारित हो जायेगी।

17. यदि किसी निर्वाचन में अनुसूचित जनजातियों की या अनुसूचित जातियों की या पिछड़े वर्गों की जनसंख्या प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रवार अभिनिश्चत नहीं की जा सकती है तो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में यथा स्थिति, अनुसूचित जनजातियों के या अनुसूचित जातियों के या पिछड़े वर्गों के परिवारों की संख्या के आधार पर अवरोही क्रम अवधारित किया जा सकता है।

18. यदि किसी पंचायत क्षेत्र में जनसंख्या के आधार पर कोई स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए या अनुसूचित जातियों के लिए या पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित नहीं किया जा सकता है तो उपरोक्त बिन्दु संख्या 9 में उल्लिखित क्रम का पालन इस प्रकार किया जायेगा मानों इसमें, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों का या अनुसूचित जातियों का या पिछड़े वर्गों का कोई निर्देश नहीं था।

19. विभिन्न पंचायतों में स्थानों के आरक्षण सम्बन्धी उदाहरण– ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण हेतु जनपद स्तर पर निम्न प्रकिया अपनाई जायेगी:–

क्रमशः.....9.

उदाहरण स्वरूप किसी ग्राम पंचायत की कुल जनसंख्या 2255 है तथा कुल परिवारों की संख्या 451 है। इस ग्राम पंचायत में कुल प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 11 होगी और ग्राम पंचायत क्षेत्र की आबादी यथासाध्य बराबर–बराबर 11 प्रादेशिक क्षेत्रों में विभाजित किया जायेगा। ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में जहॉ अनुसूचित जनजातियां, अनुसूचित जातियां, पिछडे वर्गो की जनसंख्या निश्चित नही की जा सकती हैं। वही उत्तराखण्ड पंचायतीराज स्थानों व पदों का आरक्षण और आवंटन नियमावली के नियम–4 के अनुसार आरक्षित श्रेणी के परिवारों (श्रेणीवार) के आधार पर व्यवस्थित कर ली जायेगी अलग–अलग श्रेणियों के लिये स्थानों का निर्धारण हेतु निम्न फार्मूला है:–

$$\frac{\text{सम्बन्धित आरक्षित जाति की जनसंख्या}}{\text{पंचायत की कुल जनसंख्या}} \times \frac{\text{प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या}}{1} = \text{पंचायत में आरक्षित स्थानों की संख्या}$$

इस प्रकार निकाले जाने पर पंचायत की अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा पिछडे के स्थान आरक्षित होंगे तथा प्रत्येक श्रेणी में आधे से अन्यून स्थान उस श्रेणी की महिला के लिये आरक्षित होंगे। जैसे अनुसूचित जनजाति के लिए चार पद आरक्षित होते है तो दो स्थान अनुसूचित जनजाति की महिला के लिये आरक्षित होंगे। यही प्रकिया अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछडे वर्ग के जातियों के आरक्षण हेतु भी अपनाई जायेगी, किन्तु अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण 14 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अधीन होगा।

यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्व में जो पद/स्थान जिस जाति के लिये आरक्षित थे वे उस जाति के लिये यथा सम्भव आरक्षित नही किये जायेंगे जैसे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछडे वर्ग व महिला हेतु जो स्थान वर्ष, 2005 के सामान्य निर्वाचन में आरक्षित किया गया था वह स्थान वर्ष 2011 के सामान्य निर्वाचन में कमशः अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछडे वर्ग व महिला हेतु यथा सम्भव आरक्षित नही होगा। यही प्रकिया क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण में लागू होगी।

20. उपरोक्तानुसार त्रिस्तरीय पंचायतों में स्थानों और प्रधान, प्रमुख पदों तथा सदस्यों के आरक्षण का प्रस्ताव जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार कर ग्राम पंचायत कार्यालय, क्षेत्र पंचायत कार्यालय, तहसील कार्यालय, जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय, जिला पंचायत कार्यालय एवं जिलाधिकारी कार्यालय में सूचना पट पर लगाकर प्रदर्शित किया जायेगा तथा निम्न समय सारणी के अनुसार आपत्तियॉ प्राप्त कर एवं उसका निस्तारण कर आरक्षण के अन्तिम प्रस्ताव पंचायतीराज निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे:–

कमशः.....10.

(1) आरक्षण प्रस्ताव की तैयारी एवं अनन्तिम प्रकाशन	11–12–2010 से 17–12–2010 तक
(2) आपत्तियों प्राप्त करना	18–12–2010 से 22–12–2010 तक
(3) जिलाधिकारी द्वारा आपत्तियों का निस्तारण	23–12–2010 से 24–12–2010 तक
(4) अन्तिम प्रकाशन	26–12–2010 से 27–12–2010 तक
(5) आरक्षण प्रस्ताव निदेशालय को प्राप्त कराने की तिथि	28–12–2010
(6) निदेशालय द्वारा शासन तथा राज्य निर्वाचन आयोग को आरक्षण प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाना	29–12–2010

21. कोई व्यक्ति जिसे किसी प्रस्ताव के विरूद्ध कोई आपत्ति हो (चाहे पूर्व में उसकी कोई आपत्ति हो अथवा नहीं) प्रस्तावों के प्रदर्शन की उक्त अवधि में प्रस्तावित आरक्षण के विरूद्ध आपत्तियां खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय, जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय या जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है। प्रदर्शन की अवधि की समाप्ति के उपरान्त प्राप्त आपत्तियां जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में एकत्र कर प्रत्येक आपत्ति का जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निस्तारण उसी तिथि में किया जायेगा। जिला मजिस्ट्रेट के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि आपत्तिकर्ता को मौखिक सुनवाई का अवसर, जब तक वह आवश्यक न समझे, प्रदान करें और आरक्षित स्थानों और पदों को अंतिम रूप देते हुए आरक्षित स्थानों और पदों की सूची का जनसाधारण की सूचना हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील, जिला पंचायत राज अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालयों के सूचना पट पर प्रकाशन किया जायेगा और सूचना प्रपत्र–1, 2, 3 तथा 4 पर प्रत्येक दशा में दिनांक 28–12–2010 तक निदेशालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जायेगी।

कृपया उक्तानुसार समयबद्ध रूप से कार्यवाही करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय

(राजीव चन्द्र)
सचिव।

संख्या 910(1)/XII/10–86(30)/2010 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास शाखा, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।

क्रमशः.....11.

4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास शाखा, उत्तराखण्ड षासन।
7. आयुक्त गढवाल मण्डल, पौड़ी।
8. मुख्य विकास अधिकारी, हरिद्वार।
9. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, हरिद्वार।
10. जिला पंचायत राज अधिकारी, हरिद्वार।
11. समन्वयक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
12. संयुक्त निदेशक, जिला पंचायत प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड।
13. मीडिया सेन्टर, सचिवालय।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजीव चन्द्र)
सचिव।

प्रमुख पद पर आरक्षण की स्थिति

क्र. सं.	जनपद का नाम	कुल विकास खण्ड की संख्या	कुल ग्रामीण जनसंख्या	अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या	अनुसूचित जनजाति हेतु अवधारित पद		अनुसूचित जाति की जनसंख्या	अनुसूचित जाति हेतु अवधारित पद		पिछडी जाति की जनसंख्या	पिछडी जाति हेतु अवधारित पद		सामान्य जाति की जनसंख्या महिला	महि[illegible]	[illegible]	अन[illegible]
					कुल पद	महिला		कुल पद	महिला		कुल पद	महिला				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	हरिद्वार	06	1014059	**2958**	–	–	258020	02	01	565820	03	02	187261	–	3	1

जनपदवार प्रमुख पद हेतु आरक्षण की स्थिति

क्र0	जनपद का नाम	कुल विकास खण्डों की संख्या	कुल ग्रामीण जनसंख्या	अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या	अनुसचित जनजाति हेतु अवधारित पद		अनुसूचित जाति की जनसंख्या	अनुसचित जाति हेतु अवधारित पद		पिछड़ी जाति की जनसंख्या	पिछड़ी जाति हेतु अवधारित पद		सामान्य जाति की जनसख्या	महिला	कुल महि0	अनारक्षित
					कुल पद	महिला		कुल पद	महिला		कुल पद	महिला				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	पिथौरागढ़	8	406013	13840	1	–	98067	2	1	28286	1	1	265820	2	4	2
2.	बागेश्वर	3	239347	1619	–	–	62222	1	1	11189	–	–	164317	1	2	1
3.	अल्मोड़ा	11	577547	488	–	–	132649	3	2	17595	–	–	426815	4	6	4
4.	उधमसिंह नगर	7	813100	107585	1	1	113969	1	1	231633	2	1	359913	1	4	2
5.	चम्पावत	4	198661	626	–	–	34828	1	–	9051	–	–	154156	2	2	1
6.	नैनीताल	8	418123	3796	–	–	95384	2	1	19373	–	–	299570	3	4	3
7.	पौड़ी	15	599663	1286	–	–	95402	2	1	11463	–	–	491512	7	8	6
8.	टिहरी	9	540915	217	–	–	79911	1	–	57134	1	1	403653	4	5	3
9.	उत्तरकाशी	6	272095	2449	–	–	64148	1	–	91823	2	1	113675	2	3	1
10.	देहरादून	6	619772	95352	1	1	93802	1	–	163943	2	1	266675	1	3	1
11.	रुद्रप्रयाग	3	219127	138	–	–	39418	1	1	7115	–	–	172456	1	2	1
12.	चमोली	9	319146	7699	–	–	59004	2	1	10092	–	–	242351	4	5	3
13.	हरिद्वार	6	1014059	2958	–	–	258020	2	1	565820	3	2	187261	–	3	1
		95	6237568	238053	3	2	1226824	20	10	1224517	11	7	3548174	32	51	29

नोट– जनपद हरिद्वार में वर्ष 2005 में सामान्य निर्वाचन हुये थे, तत्समय में प्रचलित विधि के अनुसार एक तिहाई पद महिलाओं के लिये आरक्षित थे। वर्तमान में महिलाओं के लिये आरक्षण का अवधारण आधे से अन्यून के आधार पर किया गया है। अतः जनपद हरिद्वार में यह व्यवस्था आगामी सामान्य निर्वाचन (वर्ष 2010) में लागू होगी। राज्य स्तर पर महिलाओं के लिये कुल आरक्षण आधे से अन्यून के आधार पर है।

विकास खण्डवार प्रधान पदों का आरक्षण त्रिस्तरीय निर्वाचन, 2010

जनपद– हरिद्वार

क्र. सं.	विकास खण्ड	ग्राम पंचायतों की कुल संख्या	विकास खण्ड की कुल जनसंख्या	अनु.ज.जा. की कुल जनसंख्या	अनु.ज.जा. हेतु अवधारित पद		अनु.जा. की कुल जनसंख्या	अनु.जा. हेतु अवधारित पद		अ0पि0व0 की कुल जनसंख्या	अ0पि0व0 हेतु अवधारित पद		अन्य महिला	कुल महिला	अनारक्षित
					कुल पद	कुल में महिला		कुल पद	कुल में महिला		कुल पद	कुल में महिला			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	बहादराबाद	69	242559	2884	1	1	61398	17	9	145152	41	21	5	36	5
2	रूड़की	59	214299	69	0	0	47930	13	7	127291	35	18	6	31	5
3	लक्सर	49	138127	2	0	0	34365	12	6	75710	27	14	5	25	5
4	भगवानपुर	57	179740	3	0	0	49291	16	8	96601	31	16	5	29	5
5	नारसन	59	197889	0	0	0	54946	16	8	97586	29	15	7	30	7
6	खानपुर	23	41445	0	0	0	10090	6	3	23480	13	7	2	12	2
योग		**316**	**1014059**	**2958**	**1**	**1**	**258020**	**80**	**41**	**565820**	**176**	**91**	**30**	**163**	**29**